राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम संख्यांक 18)

[28 मार्च, 2006]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006 है।

(2) यह 23 जनवरी, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 2 का संशोधन।

2005 का 2

2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) खंड (क) में, "अनुसूचित" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(कक) "समुचित सरकार" से अभिप्रेत है,—

(i) संसद् के किसी अधिनियम के अधीन अपने अध्ययन कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए मान्यताप्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था के संबंध में, केंद्रीय सरकार; और

(ii) किसी राज्य अधिनियम के अधीन अपने अध्ययन कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए मान्यताप्राप्त किसी अन्य शैक्षणिक संस्था के संबंध में, कोई ऐसी राज्य सरकार, जिसकी अधिकारिता में ऐसी संस्था स्थापित है;';

(iii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(गक) "सक्षम प्राधिकारी" से अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद की कोई शैक्षणिक संस्था स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र देने के लिए समुचित सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;';

(iv) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(घक) "अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों" से अल्पसंख्यकों के अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और प्रशासित करने के अधिकार अभिप्रेत हैं;';

(v) खंड (ञ) का लोप किया जाएगा।

अध्याय 3 के स्थान पर नए अध्याय का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम के अध्याय 3 के स्थान पर, निम्नलिखित अध्याय रखा जाएगा, अर्थात्:—

'अध्याय 3

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के अधिकार

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना करने का अधिकार।

10. (1) कोई व्यक्ति, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना करना चाहता है, उक्त प्रयोजन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी,—

(क) दस्तावेजों, शपथपत्रों या अन्य साक्ष्य, यदि कोई हो, का परिशीलन करने पर; और

(ख) आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्,

उपधारा (1) के अधीन फाइल किए गए प्रत्येक आवेदन का, यथासंभव शीघ्रता से, विनिश्चय करेगा और आवेदन को, यथास्थिति, मंजूर या नामंजूर करेगा:

परन्तु जहां किसी आवेदन को नामंजूर किया जाता है, वहां सक्षम प्राधिकारी उसकी संसूचना आवेदक को देगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन अनापत्ति प्रमाणपत्र देने के लिए आवेदन की प्राप्ति से नब्बे दिन की अवधि के भीतर—

(क) सक्षम प्राधिकारी ऐसा प्रमाणपत्र नहीं देता है; या

(ख) जहां कोई आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है और उसकी संसूचना उस व्यक्ति को, जिसने ऐसा प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए आवेदन किया है, नहीं दी जाती है,

वहां यह समझा जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी ने आवेदक को अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया है।

(4) आवेदक, अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिए जाने पर या जहां सक्षम प्राधिकारी के बारे में यह समझा गया है कि उसने अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया है वहां, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अधिकथित किए गए, यथास्थिति, नियमों और विनियमों के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना प्रारंभ करने और उस संबंध में कार्यवाही करने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "आवेदक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करने के लिए उपधारा (1) के अधीन आवेदन करता है;

(ख) "अनापत्ति प्रमाणपत्र" से ऐसा प्रमाणपत्र अभिप्रेत है, जिसमें यह कथन हो कि सक्षम प्राधिकारी को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का सहबद्धता चाहने का अधिकार।

10क. (1) कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अपनी रुचि के किसी विश्वविद्यालय से इस बात के अधीन रहते हुए सहबद्ध होने की मांग कर सकेगी कि ऐसी सहबद्धता उस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय है जिसके अधीन उक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।

(2) कोई व्यक्ति, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, उपधारा (1) के अधीन सहबद्ध होने के लिए किसी विश्वविद्यालय को कोई आवेदन, उस विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश, नियमों या विनियमों द्वारा विहित रीति से फाइल कर सकेगा:

परंतु ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति को, ऐसा आवेदन फाइल करने की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात्, ऐसे आवेदन की प्रास्थिति के बारे में जानने का अधिकार होगा।'।

धारा 11 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 11 में, खंड (ख) और खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(ख) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और प्रशासित करने के अधिकारों से वंचित किए जाने या उनका अतिक्रमण किए जाने से संबंधित शिकायतों की और किसी विश्वविद्यालय से सहबद्ध होने से संबंधित किसी विवाद की, स्वःप्रेरणा से या किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे प्रस्तुत की गई किसी याचिका पर जांच पड़ताल करेगा और समुचित सरकार को अपने निष्कर्ष की उसके कार्यान्वयन के लिए रिपोर्ट करेगा;

(ग) किसी न्यायालय के समक्ष अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के किसी वंचन या अतिक्रमण से संबंधित किसी कार्यवाही में, उस न्यायालय की इजाजत से, हस्तक्षेप करेगा;

(घ) अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित सुरक्षोपायों का पुनर्विलोकन करेगा और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेगा;

(ङ) अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित अपनी रुचि की संस्थाओं की अल्पसंख्यक प्रास्थिति और स्वरूप के संवर्धन और परिरक्षण के लिए उपाय विनिर्दिष्ट करेगा;

(च) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप के किसी संस्था की प्रास्थिति से संबंधित सभी प्रश्नों का विनिश्चय करेगा और उस रूप में उसकी प्रास्थिति की घोषणा करेगा;

(छ) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित कार्यक्रमों और स्कीमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समुचित सरकार को सिफारिशें करेगा; और

(ज) ऐसे अन्य कार्य और बातें करेगा, जो आयोग के सभी या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।"

धारा 12 की संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

(क) उपधारा (1) में, "अनुसूचित" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(3) आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 1860 का 45
धारा 228 के अर्थान्तर्गत और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और आयोग दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों 1974 का 2
के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।"।

नई धारा 12क से धारा 12च का अंत:स्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

'12क. (1) किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन अनापत्ति प्रमाणपत्र देने से इंकार करने वाले आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश के विरुद्ध आयोग को अपील कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील, उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश के आवेदक को संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर फाइल की जाएगी:

परंतु आयोग, तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसके फाइल न किए जाने के लिए पर्याप्त कारण था।

(3) आयोग को अपील ऐसे प्ररूप में की जाएगी, जो विहित किया जाए और उसके साथ उस आदेश की एक प्रति होगी, जिसके विरुद्ध अपील फाइल की गई है।

(4) आयोग, पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, यथासाक्ष्य शीघ्रता से, आदेश पारित करेगा और ऐसे निदेश देगा, जो उसके आदेशों को प्रभावी करने या उसकी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों।

(5) उपधारा (4) के अधीन आयोग द्वारा किया गया आदेश, आयोग द्वारा किसी सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पादनीय होगा और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध, 1908 का 5
जहां तक हो सके, इस प्रकार लागू होंगे, जैसे वे किसी सिविल न्यायालय की डिक्री के संबंध में लागू होते हैं।

किसी शैक्षणिक संस्था की अल्पसंख्यक प्रास्थिति के संबंध में विनिश्चय करने की आयोग की शक्ति।

12ख. (1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर 1992 का 19
प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी शैक्षणिक संस्था को अल्पसंख्यक प्रास्थिति देने के लिए, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई प्राधिकारी, ऐसी प्रास्थिति दिए जाने के लिए आवेदन को नामंजूर करता है, वहां व्यथित, प्राधिकारी के उस आदेश के विरुद्ध आयोग को अपील कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील, आदेश के आवेदक को संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर फाइल की जाएगी:

परंतु आयोग तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात्, किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसके फाइल न किए जाने के लिए पर्याप्त कारण था।

(3) आयोग को अपील, ऐसे प्ररूप में की जाएगी, जो विहित किया जाए और उसके साथ उस आदेश की एक प्रति होगी, जिसके विरुद्ध अपील फाइल की गई है।

(4) उपधारा (3) के अधीन अपील की प्राप्ति पर आयोग, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और राज्य सरकार से परामर्श करके शैक्षणिक संस्था की अल्पसंख्यक प्रास्थिति के बारे मे विनिश्चय करेगा और ऐसे निदेश देने के लिए कार्यवाही करेगा, जो वह ठीक समझे और ऐसे सभी निदेश पक्षकारों पर आबद्धकारी होंगे।

/2833OLW/2833OLW

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 12ग के प्रयोजनों के लिए,"प्राधिकारी" से ऐसा कोई प्राधिकारी या अधिकारी या आयोग अभिप्रेत है, जो किसी शैक्षणिक संस्था को अल्पसंख्यक प्रास्थिति का प्रमाणपत्र देने के प्रयोजन के लिए, तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन या समुचित सरकार के किसी आदेश के अधीन स्थापित किया गया है।

12ग. आयोग, ऐसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को, जिसे, यथास्थिति, किसी प्राधिकारी या आयोग द्वारा अल्पसंख्यक प्रास्थिति प्रदान की गई है, सुनवाई को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसी प्रास्थिति को रद्द कर सकेगा, अर्थात्:— रद्द करने की शक्ति।

(क) यदि शैक्षिणिक संस्था की संरचना, उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों को, जिन्होंने उसे अल्पसंख्यक प्रास्थिति अभिप्राप्त करने में समर्थ बनाया है, बाद में इस रूप में संशोधित किया गया है कि वे अब अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के प्रयोजन या विशेषता को प्रदर्शित नहीं करते हैं;

(ख) यदि निरीक्षण या अन्वेषण के दौरान अभिलेखों के सत्यापन पर यह पाया जाता है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था किसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान नियमों और प्रवेश को शासित करने वाले विहित प्रतिशत के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को संस्था में प्रवेश देने में असफल रही है।

12घ (1)आयोग, को अल्पसंख्यकों के शैक्षिणिक अधिकारों के वंचन से संबंधित शिकायतों का अन्वेषण करने की शक्ति होगी। अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के वंचन से संबंधित मामलों का अन्वेषण करने की आयोग की शक्ति।

(2) आयोग, इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत से संबंधित कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की सहमति से, केंद्रीय सरकार या उस राज्य सरकार के किसी अधिकारी की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन अन्वेषण के प्रयोजन के लिए ऐसा अधिकारी, जिसकी सेवाओं का उपयोग किया गया है, आयोग के निदेश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, —

(क) किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा कर सकेगा;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा कर सकेगा।

(4) ऐसा अधिकारी, जिसकी सेवाओं का उपधारा (2)के अधीन किया गया है, आयोग द्वारा उसे सौंपे गए किसी मामले का अन्वेषण कर सकेगा और ऐसी अवधि के भीतर, जो इस निमित्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए , आयोग को उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(5) आयोग, उपधारा (4)के अधीन उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में कथित तथ्यों और निकाले गए निष्कर्ष की, यदि कोई हो, शुद्धता के बारे में अपना समाधान करेगा और इस प्रयोजन के लिए आयोग ऐसी और जांच कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

12ङ(1) आयोग, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के अतिक्रमण या वंचन की शिकायतों की जांच करते समय, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या उसके अधीनस्थ संगठन से ऐसे समय के भीतर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, सूचना या रिपोर्ट मांगेगा: सूचना आदि की मांग करने की आयोग की शक्ति।

परंतु, —

(क) यदि सूचना या रिपोर्ट आयोग द्वारा अनुबंधित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो वह शिकायत की जांच करने की कार्यवाही आरंभ कर सकेगा;

(ख) यदि, सूचना या रिपोर्ट की प्राप्ति पर, आयोग का या तो यह समाधान हो जाता है कि आगे जांच अपेक्षित नहीं है या यह कि संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कार्रवाई आरंभ कर दी गई है या की गई है तो वह उस शिकायत पर कार्यवाही नहीं कर सकेगा और तद्नुसार शिकायतकर्ता को सूचित करेगा।

(2) जहां जांच से किसी लोक सेवक द्वारा अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का अतिक्रमण या वंचन सिद्ध हो जाता है, वहां आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकारी को संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाहियां, या ऐसी अन्य कार्रवाई आरंभ करने की सिफारिश कर सकेगा, जो ठीक समझी जाए।

(3) आयोग अपनी सिफारिशों के साथ जांच रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा और संबंधित सरकार या प्राधिकारी एक मास की अवधि या ऐसे और समय के भीतर, जो आयोग अनुज्ञात करे, उस पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई सहित रिपोर्ट पर अपनी टीका-टिप्पणियां आयोग को भेजेगा।

(4) आयोग, अपनी जांच रिपोर्ट और आयोग की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को प्रकाशित करेगा।

अधिकारिता का वर्जन।

12च. कोई न्यायालय (उच्चतम न्यायालय और संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के अधीन, अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी उच्च न्यायालय के सिवाय) इस अध्याय के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा।'।

धारा 18 का लोप।

7. मूल अधिनियम की धारा 18 का लोप किया जाएगा।

धारा 24 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) में खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(कक) वह प्ररूप, जिसमें धारा 12क की उपधारा (3) और धारा 12ख की उपधारा (3) के अधीन अपील फाइल की जाएगी;"।

अनुसूची का लोप।

9. मूल अधिनियम की अनुसूची का लोप किया जाएगा।

2006 के अध्यादेश 1 का निरसन और व्यावृत्ति।

10. (1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2006 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

राष्ट्रपति ने दि नेशनल कमीशन फार माइनोरिटी एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स (अमेंडमेंट), ऐक्ट, 2006 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Act, 2006 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause *(a)* of sub-section *(1)* of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार।

Secretary to the Government of India.

MGIPMRND—2833OLW—26-10-2006.